प्रतिपूर्ति प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

कंपनी के कार्यपालकों को प्रदेय पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है।

कामगारों को प्रदेय पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कामगारों के मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के साथ की गई वार्ता द्वारा तय किया जाता है।

कार्यपालकों (टी.सी. कार्मियोंसहित) का पुनरीक्षित वेतनमान (01.01.2017 से)

बोर्ड स्तर के पद

श्रेणी	पुनरीक्षित वेतनमान (रू)
सी.एम.डी.	200000 - 3% - 370000
कार्यशील निदेशक	180000 – 3% – 340000

बोर्ड स्तर से नीचे के पद

श्रेणी	पुनरीक्षित वेतनमान (रू)
टीसी-I	27000 – 3% – 110000
टीसी-II	29000 - 3% - 117000
टीसी-III	30000 - 3% - 120000
टीसी-IV	40000 - 3% - 140000
टीसी-V	50000 - 3% - 160000
टीसी-VI	60000 - 3% - 180000
ई -I	30000 – 3% – 120000
ई-II	40000 - 3% - 140000
ई-III	50000 - 3% - 160000
ई-IV	60000 - 3% - 180000
\$-V	70000 – 3% – 200000
ई-VI	80000 - 3% - 220000

ई-VIA	90000 - 3% - 240000
ई-VII	100000 - 3% - 260000
ई-VIII	120000 - 3% - 280000
ई-IX	150000 - 3% - 300000

01.01.2017 से गैर-कार्यपालकों का वेतनमान

वेतन श्रेणी	पुनरीक्षित
I	18000-3% - 71000
II	19500– 3% – 75000
III	20500-3% - 79000
IV	21500-3% - 82000
V	22250-3% - 85000
VI	23000-3% - 87000
VII	24500-3% - 90000
VIII	25250-3% - 93000
IX	26000-3% - 98000
X	26750-3% - 105000

ऊपर दर्शित वेतनमान के अनुसार प्रदेय मूल वेतन के अतिरिक्त, कर्मचारी कंपनी के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, कंपनी के क्वार्टर में नाममात्र के किराए या मकान किराया भत्ता के भुगतान से आवास, अन्य भत्ते / अनुलाभ, कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन / उत्पादकता प्रोत्साहन, छुट्टी, स्वयं और आश्रित परिजनों के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ, कैन्टीन सुविधा, अधिवार्षिता अनुलाभ, अन्य कल्याण सुविधाएँ आदि के पात्र होते हैं।